Journal of Research and Development
Peer Reviewed International, Open Access Journal.
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-17, Issue-9(A)| September 2025

Original Article

महिला पुलिस की समस्याएं

डॉ.धर्मराज मिश्रा

पूर्व शोधार्थी, लोक प्रशासन विभाग, वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा (बिहार)
Email-dharmrajmishra90@gmail.com

Manuscript ID:
JRD -2025-170917
ISSN: 2230-9578
Volume 17
Issue 9(A)
Pp.83-86
September 2025
Submitted:23 Aug. 2025
Revised: 4 Sept. 2025
Accepted: 21 Sept. 2025
Published: 30 Sept. 2025

सारांश

महिला पुलिस के विषय में प्रायः अन्तर्विरोधी विचार–धाराएं पायी गयी हैं। कुछ लोगों का यह कहना है कि पुलिस के कार्य के लिये महिलायें उपयुक्त नहीं हैं क्योंकि पुलिस को अपने कार्य में समाज विरोधी तत्त्वों पर काबू प्राप्त करना पड़ता है और इसलिये यह कठोर कार्य है। जिसमें पुरुष जो कि अधिक ताकतवर होता है, यह कार्य अधिक सफलता के साथ कर सकता है और महिलायें जो कि प्रायः कमजोर होती हैं, यह कार्य सख्ती के साथ नहीं कर सकतीं। इसलिये अधिक से अधिक महिला पुलिस का प्रयोग समाज में अपराध करने वाले बच्चों के नियंत्रण के लिये और इस प्रकार के छोटे–मोटे कार्यों में ही किया जा सकता है। दूसरी ओर कुछ लोगों का कहना है कि महिलाओं की मौजूदगी में लोगों का व्यवहार स्वयं भद्र बन जाता है और महिलाओं के अन्दर ऐसी एकमात्र शक्ति होती है जिसके उपयोग से वे ऐसा कार्य कर सकती हैं जिनको कि पुरुष शारीरिक शक्ति से नहीं कर सकता इसलिये महिला पुलिस की मौजूदगी एक नैतिक आवश्यकता बन जाती है। कुछ अन्य का कहना है कि महिला पुलिस एक फिजूल खर्चीली पुलिस है और उनकी भर्ती से जनता का धन व्यय नहीं किया जाना चाहिये। ऐसे लोगों का यह भी कहना है कि महिला पुलिस में भर्ती होकर महिलायें अपना लज्जा का आभूषण खो देती हैं। इसलिये इस प्रकार महिला पुलिस के जिम्मे समाज के अपराध संबंधी सुधार जैसा महान कार्य नहीं सौंपा जाना चाहिये। कुछ लोगों का कहना है कि महिला पुलिस का व्यवहार जनता के साथ अधिक सहानुभूतिपूर्ण होता है और वे पीड़ित लोगों के दर्द को अच्छी तरह समझकर उनकी अधिक से अधिक कानूनी व निःस्वार्थ भाव से सेवा करने के लिये तत्पर रहती हैं।

संदर्भ शब्द -*महिला पुलिस,पुलिस व्यवस्था,कानून और व्यवस्था, अपराध नियंत्रण,सामाजिक न्याय,लैंगिक समानता,महिला सशक्तिकरण,पुलिस प्रशासन,स्वतंत्रता के बाद का विकास, समाज में महिलाओं की भूमिका,महिला अधिकार,पुलिस प्रशिक्षण,अपराध निवारण,बाल अपराध,नारी अध्ययन.*

इंगलैंड में सबसे पहले प्रथम महायुद्ध में सन् 1914 ई. से 1918 ई. के बीच में महिलाओं को पुलिस कार्य में नियुक्त किया गया। जर्मनी और सयुंक्त राज्य अमेरिका में इसके पहले भी महिला पुलिस का प्रयोग किया गया था। इंगलैंड में आरंभिक काल, सन् 1914 ई. में महिलाओं को औरतों की व्यक्तिगत शारीरिक जांच या छानबीन, औरतें और बच्चे, जिनको कि गिरफतार किया जाता था, छानबीन के लिये लगाया जाता था। किन्तु ये महिलायें सिपाही नहीं होती थीं और इनसे गश्त का कार्य नहीं लिया जाता था। यद्यपि 20वीं शताब्दी के आरंभमें अनेकों समाज सुधारकों ने महिला पुलिस की भर्ती के लिये जोर दिया, किन्तु प्रथम महायुद्ध के समय में ही महिलाओं को पुलिस के कार्यों में या और दूसरे कार्यों को करने का मौका मिला। आंरभिक काल में महिला पुलिस स्वयं सेविकाओं ने पुलिस का कार्य करना शुरु किया और इस सिलसिले में इंगलैंड में प्रमुख रूप से दो संस्थाओं ने इस कार्य को करना आंरभ किया। प्रथम महायुद्ध छिड़ने के बाद महिला स्वयं सेविकाओं ने औरतों तथा लड़कियों के बीच में अपराधों को रोकने के लिये पाकों तथा सैनिक छावनियों में गश्त करना आरम्भ किया।

Creative Commons (CC BY-NC-SA 4.0)
This is an open access journal, and articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International Public License, which allows others to remix, tweak, and build upon the work noncommercially, as long as appropriate credit is given and the new creations ae licensed under the idential terms.

Address for correspondence:
डॉ.धर्मराज मिश्रा, पूर्व शोधार्थी, लोक प्रशासन विभाग, वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा (बिहार)

How to cite this article:
मिश्रा, . धर्मराज . (2025). महिला पुलिस की समस्याएं. Journal of Research and Development, 17(9(A)), 83–86. https://doi.org/10.5281/zenodo.17510531.

Quick Response Code:
Website:
https://jrdrvb.org/
DOI:
10.5281/zenodo.17510531
OPEN ACCESS

Journal of Research and Development
Peer Reviewed International, Open Access Journal.
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-17, Issue-9(A)| September 2025

इन महिलाओं को पुलिस के प्रमुख अफसरों की निगरानी में प्रशिक्षण दिया गया और इस प्रकार चार से पांच हजार महिलाओं ने पुलिस प्रशिक्षण प्राप्त किया। कुछ स्थानों पर जहां पर कि इन महिला पुलिस के कार्यों की सराहना की गयी, उनको मासिक वेतन भी दिया गया और इस प्रकार यही स्वयं सेविका महिलायें धीरे–धीरे वेतनभोगी महिला पुलिस कर्मी बन गयीं। सन् 1916ई. में लंदन महानगर के पुलिस आयुक्त ने इन्हीं स्वयं सेविका पुलिस महिलाओं में से कुछ को लंदन की महिला पुलिस के रूप में भर्ती कर लिया और तभी से लंदन महानगर में महिला पुलिस कार्य कर रही हैं।

सन 1920 ई. में महिला पुलिस के विषय में रिपोर्ट देने के लिये बेयर्ड समिति की नियुक्ति की गयी। इस समिति ने यह सुझाव दिया कि प्रथम महायुद्ध के समय में महिलाओं ने पुलिस का कार्य सफलतापूर्वक किया था जो कि उससे पहले पुलिस ही किया करती थी और इस रिपोर्ट ने यह भी बतलाया कि शहर की घनी आबादी के क्षेत्रों में महिला पुलिस कार्य के लिये न केवल उपयोगी था बल्कि महिला पुलिस की नियुक्ति की अत्यन्त आवश्यकता थी। किन्तु संख्या में कितनी महिला पुलिस की नियुक्ति की जाये, इसका निणर्य पुलिस विभाग पर ही छोड़ दिया गया। उस समय सन् 1920 ई. में लंदन महानगर में महिला पुलिस की संख्या 112 थी और बाकी इंगलैंड में 126 महिला पुलिस नियुक्त की गयी थीं। किन्तु इस समिति की सिफारिशों को एक बहुत बड़ा धक्का लगा जबकि सन् 1920 ई. के दशक के आरम्भ में सरकारी खर्च कम करने का आन्दोलन चलाया गया। इसलिये सन् 1922 ई. में गृह सचिव ने यह निर्णय लिया कि लंदन महानगर में महिला पुलिस की सभी गश्त के दल समाप्त कर दिये जायें। इस निर्णय को लेकर अनेकों संसद सदस्यों ने विरोध प्रकट किया और उनका कहना था कि महिला पुलिस न केवल समाज कल्याण का कार्य करती है बल्कि अपराधों को रोकने का कार्य भी करती है इसलिए महिला पुलिस की टुकड़ियों को भंग करना एक नकली कम खर्च का तरीका होगा। अंत में गृह सचिव ने अपने निर्णय को बदल दिया और 112 महिला पुलिस के स्थान पर 20 महिला पुलिस के एक छोटे समूह को कार्यरत रखा। दूसरे 15 पुलिस विभागों ने महिला पुलिस टुकड़ियों को भंग कर दिया तथा अन्य 5 पुलिस विभागों ने उनकी संख्या कम कर दी और सन् 1922 ई. में इंगलैंड के 31 पुलिस विभागों ने केवल 87 महिला पुलिस कर्मियों को पुलिस सेवा में रखा गया। सन् 1924 ई. में एक अन्य समिति का गठन महिला पुलिस की भर्ती के विषय में जांच करने के लिये किया गया। इस समिति ने भी बेयर्ड समिति के समान ही निर्णय दिया और यह बतलाया कि महिला पुलिस के उपयोग से पुलिस सेवा की क्षमता में वृद्धि हुई किन्तु इस दूसरी समिति ने भी महिला पुलिस भर्ती करने के विषय में और उनकी संख्या के विषय में निर्णय, पुलिस विभागों पर ही डाल दिया। इस समिति की रिपोर्ट के बाद लंदन पुलिस में महिला पुलिस की संख्या 22 से बढ़कर 50 हो गयी।

आरम्भिक दिनों में यह विवाद भी सामने आया कि क्या महिला पुलिस को पुलिस कान्स्टेबल के समान ही उसके कर्तव्यों की प्रतिज्ञा दिलायी जाये। प्रथम विश्वयुद्ध के समय यह समझा जाता था कि महिलायें शारीरिक रूप से कमजोर होती हैं और वे पुलिस कान्स्टेबल की जिम्मेदारियों को निभाने की क्षमता नहीं रखती। इसलिये उनको पुलिस कान्स्टेबल की प्रतिज्ञा नहीं दिलानी चाहिये। किन्तु सन् 1923 ई. के बाद लंदन महानगर की महिला पुलिस, पुलिस कान्स्टेबल की भांति ही प्रतिज्ञा लेने लगी। किन्तु सन् 1924 ई. में इस विचारधारा का पुर्ननिर्णय लिया गया और यह सुझाव दिया गया कि महिला पुलिस को केवल कान्स्टेबल के समान प्रतिज्ञा लेनी चाहिये। सन् 1930 ई. तक प्रान्तों में एक तिहायी महिला पुलिस ने प्रतिज्ञा नहीं ली थी। किन्तु सन् 1939 ई. तक छठे हिस्से की महिला पुलिस ने कान्स्टेबल की प्रतिज्ञा नहीं ली थी। किन्तु दूसरे महायुद्ध के समय स्थिति बिल्कुल ही बदल गयी और यहां तक कि सहायक महिला पुलिस को भी प्रतिज्ञा दिलायी जाने लगी। यद्यपि उनको कार्यालय इत्यादि के अन्दर पुलिस के कार्य दिये जाते थे और वे कान्स्टेबल के साधारण कर्तव्यों को नहीं निभाती थी। किन्तु आज की परिस्थिति भिन्न है और सभी महिला कान्स्टेबलों को पुलिस की प्रतिज्ञा दिलायी जाती है।

सन् 1929 ई. में जो राजकीय समिति महिलाओं के पुलिस में भर्ती के बारे में नियुक्त की गयी थी उसमें सुझाव दिया गया था कि महिला पुलिस को शहरों में वर्दीधारी बनकर गश्त करनी चाहिए तथा लड़कियों और बच्चे जो कि कामवासना का शिकार बनते हैं, उनका बयान लिखना चाहिए तथा महिला पुलिस को मामले के अन्वेषण का काम भी दिया जाना चाहिये। पहले इस टाईप का कार्य पुरुषों को दिया जाता था। किन्तु द्वितीय महायुद्ध के दौरान यह पाया गया कि महिलाएँ इस कार्य को बहुत निपुणता के साथ कर सकती हैं। आंरभिक काल में महिला पुलिस को पुरुषों के मुकाबले में वेतन भी कम दिया जाता था किन्तु ब्रिजमैन समिति ने सुझाव दिया कि योग्य महिलाओं को पुलिस सेवा में आकर्षित करने के लिये उनको पुरुषों के समान ही वेतन दिया जाना चाहिये। इस प्रकार सन् 1931 ई. में महिला पुलिस को पुरुषों के समान ही वेतन तथा सेवा संबंधी नियम समान कर दिये गये। सन् 1932 ई. में चार महिला निरीक्षकों की नियुक्ति अन्य पुलिस बलों में की गयी और छः महिला निरीक्षकों की नियुक्ति लंदन महानगर पुलिस में की गयी। इससे महिला पुलिस को पदोन्नति करने का अवसर भी मिलने लगा।

बीसवीं सदी के चौथे और पांचवें दशक में महिला पुलिस के विषय में इंगलैंड में काफी विकास हुआ और अप्रत्याशित परिवर्तन हुआ। इंगलैंड के गृह विभाग ने सन् 1946 ई. में यह आदेश जारी किया कि इंगलैंड के प्रत्येक पुलिस बल में महिला पुलिस की नियुक्ति आवश्यक है। इस प्रकार जिलों में महिला पुलिस की संख्या डेढ़ हजार से भी अधिक हो गयी तथा कुछ महिला पुलिस के प्रशिक्षण के लिये लंदन महानगर की पुलिस में व अन्य पुलिस बलों में प्रशिक्षण सुविधा प्रदान की गयी। कुछ महिला पुलिस का प्रशिक्षण, पुरुष पुलिस के साथ किया गया। सन् 1945 ई. से सभी महिला पुलिस, गृह विभाग के प्रशिक्षण स्कूलों में प्रशिक्षण पाने लगीं और उनको वही प्रशिक्षण दिया जाने लगा जो कि पुरुष पुलिस को दिया जाता है। इस प्रकार महिला पुलिस के प्रशिक्षण तथा पुरुष पुलिस के प्रशिक्षण के बीच किसी प्रकार का अन्तर नहीं पाया जाने लगा व दोनों ही समान स्तर पर कार्य करने लगे। आंरभिक काल में विवाहित महिलाओं को पुलिस बलों में नियुक्ति नहीं दी जाती थी। सन् 1931 ई. के नियमों के अनुसार प्रत्येक महिला पुलिस या तो विधवा होती थी अथवा अविवाहित। किन्तु यह नियम सन् 1946 ई. में समाप्त कर दिया गया।

Journal of Research and Development
Peer Reviewed International, Open Access Journal.
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-17, Issue-9(A)| September 2025

जून सन् 1957 ई. में पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में अन्तराष्ट्रीय अपराध संबंधी पुलिस समिति की साधारण सभा का सम्मेलन हुआ जिसमें महिला पुलिस के कर्तव्यों पर प्रकाश डाला गया। इस सम्मेलन में यह बतलाया गया कि अपराधों की रोकथाम में जैसे कि त्यागे गए बिखरे हुए अनाथ बच्चों और खासतौर से वे बच्चे जो अपराध करने लगते हैं, उनका पता लगाने में तथा ऐसे बच्चे जो कि देखभाल न करने से वैश्यावृत्ति की तरफ झुक सकते हैं, उनका पता लगाना, स्कूली बच्चों की मदद करना और उनको ट्रैफिक के कायदों और नियमों के विषय में अवगत कराना तथा घर से भागे हुए बच्चों की तलाश करना और महिलाओं और बच्चों के बारे में कार्ड इन्डेक्स प्रणाली बनाना और सामाजिक स्वास्थ्य संबंधी और शिक्षा संबंधी सेवाओं के विषय में तालमेल रखना, युवती महिलाएं जो कि अपराध करती हैं उनका व अन्य लड़के व लड़कियों के अपराध संबंधी केसों का अन्वेषण करना, महिलाओं और बच्चों से पूछताछ करना, वैश्यावृत्ति का पता लगाना और गिरफ्तार की गई महिलाओं की तलाशी लेने इत्यादि कार्य महिला पुलिस के लिये उपयुक्त पाया गया।

भारतवर्ष में महिला पुलिस का आरंभ लगभग स्वतंत्रता के बाद ही हुआ। स्वतंत्रता के पहले लाहौर शहर में ही सबसे पहले महिला पुलिस इन्सपैक्टर रेलवे स्टेशन के थाने में तैनात थी। सन् 1948 ई. में पंजाब और दिल्ली में कुछ संख्या में महिला पुलिस नियुक्त की गईं। कलकत्ता में पहली महिला पुलिस सन् 1949 ई. में और बम्बई में सन् 1952 ई. में नियुक्त की गई। इस समय लगभग सभी प्रदेशों में और अर्द्धसैनिक बलों में महिला पुलिस नियुक्त की गई हैं। अनेकों राज्यों के पुलिस आयोगों ने महिला पुलिस की नियुक्ति के विषय में अपने विचार प्रकट किये। बिहार पुलिस आयोग ने, पंजाब पुलिस आयोग ने, महाराष्ट्र पुलिस आयोग ने और उत्तर प्रदेश पुलिस आयोग इन सभी ने महिला पुलिस की नियुक्ति के विषय में अपने सुझाव प्रकट किये और इन्होंने कहा कि महिला पुलिस की नियुक्ति के साथ–साथ पुलिस बलों में इसका विस्तार भी होना चाहिए। महिला पुलिस अपने कार्य में महानगर कलकत्ता, दिल्ली और बम्बई में अत्यन्त ही उपयोगी पाई गई हैं। कलकत्ता में अधिकतर महिला पुलिस अपराध अन्वेषण विभाग में रखी गई हैं तथा कुछ गुप्तचर विभाग में भी कार्य कर रही हैं। महिला पुलिस का उपयोग महिलाओं के प्रदर्शनों की देख–रेख करने में भी नियुक्त किया गया है। साथ ही इनका उपयोग कंट्रोल रूप में और दूसरे क्षेत्र में भी होने लगा है। इसी प्रकार बम्बई पुलिस में भी महिला पुलिस का उपयोग खोये हुए बच्चों और महिलाओं की तलाश में, वैश्यावृत्ति तथा बच्चों से संबंधित अपराधों के विषय में सफलता से किया जाता है। महिला अपराधियों की तलाशी के लिये और उनकी गिरफ्तारी के लिये तथा हवाई अड्डों पर महिलाओं की तलाशी के लिये महिला पुलिस का प्रयोग सफलता पूर्वक किया जाता है। इसी प्रकार दिल्ली पुलिस में भी महिला पुलिस का उपयोग महिला अपराधियों की पूछताछ के लिये, महिलाओं के खिलाफ मामलों की छानबीन के लिये, ऐसे प्रदर्शन जिसमें महिलाएं भाग ले रही हों, उनके नियंत्रण के लिये और बाल अपराधियों तथा महिला अपराधियों के विषय में किया जाता है। चेन्नई महानगर में भी महिला पुलिस का उपयोग उपरोक्त कार्यों के लिये सफलता पूर्वक किया जा रहा है। चौन्नई महानगर में ऐसा थाना भी खोला गया है जिसमें सभी पुलिस कर्मी महिला पुलिस से हैं।

भारतवर्ष में भी विभिन्न प्रान्तों में औरतों और बच्चों से संबंधित अपराधों के अन्वेषण से संबंधित मदद करना, खोए हुए बच्चों व महिलाओं की तलाश में स्थानीय पुलिस की मदद करना, वैश्यालयों से महिलाओं को निकालकर उनको सुरक्षागृहों में, न्यायालयों में और अस्पतालों में ले जाना, अपहरण या अगवा किए जाने के मामलों में महिलाओं व लड़कियों को निकालना, बच्चों, महिलाओं व अन्य अपराधियों व गवाहों से पूछताछ करना, महिला अपराधियों की तलाशी लेने और उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, वी.आई.पी. सुरक्षा कार्य, हवाई अड्डों पर औरतों के सामान की सुरक्षा संबंधी तलाशी इत्यादि कार्य महिला पुलिस करती हैं। राजनीतिक सभाओं में तथा जुलूस इत्यादि में भी महिला पुलिस का प्रयोग किया जाता है। यदि औरतें कोई आन्दोलन करती हैं या किसी श्रम संबंधित विवाद में भाग लेती हैं तो ऐसे समय में भी महिला पुलिस का प्रयोग किया जाता है। मेलों में या धार्मिक स्थानों पर या अन्य उत्सवों में बच्चों व महिलाओं की सुरक्षा के कार्य के लिये भी महिला पुलिस को लगाया जाता है। बलात्कार या महिलाओं की असाधारण मृत्यु, पारिवारिक कलह इत्यादि में भी महिला पुलिस का प्रयोग होता है। महिला पुलिस ट्रैफिक के कर्त्तव्यों का पालन भी करा रही है और किन्हीं किन्हीं पुलिस थानों में महिला पुलिस आफिसर को भी थाने का सर्वश्रेष्ठ अधिकारी बनाया जाने लगा है। दहेज संबंधी मृत्यु के मामलों की छानबीन में भी महिला पुलिस का प्रयोग किया जाता है।

यद्यपि पिछले लगभग 100 वर्षों से महिला पुलिस का प्रयोग पुलिस के कार्यों में किया जाने लगा है किन्तु फिर भी अब तक उनको पुरुष पुलिस के मुकाबले में उनके समान नहीं समझा जाता। इसका प्रमुख कारण यह है कि यह अब भी माना जाता है कि महिला अधिक भावुक होती है जिसके कारण पुलिस के काम में उत्पन्न तनाव को सहन करने में उतनी समर्थ नहीं होती। यह भी कहा जाता है कि यदि महिला पुलिस अकेली रात में किसी सड़क या स्थान पर अपने काम पर लगा दी जाए तो अपराधी लोग उसके साथ बलात्कार भी कर सकते हैं। कुछ महिला पुलिस विवाह करने के पश्चात व बच्चे हो जाने के बाद पुलिस विभाग से त्यागपत्र दे देती हैं। इन्हीं सभी अनेकों कारणों से महिला पुलिस को अब तक पुरुष पुलिस के समान मान्यता नहीं मिल पाई है।

महिला पुलिस के कार्यों के विषय में दो विभिन्न मत हैं–एक मत के अनुसार महिला पुलिस को कुछ सीमित कार्य ही दिये जाने चाहिएं किन्तु दूसरे मतावलम्बियों का कहना है कि महिला पुलिस को सभी वे कार्य दिये जाने चाहिए जो पुरुष पुलिस को दिये जाते हैं। आज महिला पुलिस, पुरुष पुलिस से किसी भी प्रकार किसी भी कार्य में कम नहीं है और उनकी सेवाओं को सभी पुलिस के कार्यों में प्रयोग में लाया जा रहा है। भारतीय पुलिस सेवा में भी महिला पुलिस भर्ती हो रही है और केन्द्रीय सुरक्षा बल में महिला पुलिस की बटालियन भी बनाई गई है। कुछ महिला पुलिस अफसरों के कार्य, पुरुष पुलिस से बहुत अच्छे पाये गये हैं और महिला पुलिस ने पुलिस में सभी कार्यों को करने में अपनी योग्यता दिखलाई है। आजकल बड़े–बड़े शहरों

Journal of Research and Development
Peer Reviewed International, Open Access Journal.
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-17, Issue-9(A)| September 2025

में व महानगरों में महिला पुलिस का साधारणतः पर्याप्त प्रयोग किया जाने लगा है। यद्यपि गांवों में व छोटे–छोटे कस्बों में महिला पुलिस का कम प्रयोग होता है।

कुछ प्रान्तों में यह नीति बनाई गई है कि उनकी 30 प्रतिशत पुलिस बल, महिला पुलिस का होगा और 25 प्रतिशत पुलिस थानों में सर्वश्रेष्ठ अधिकारी महिला पुलिस होगी। कुछ प्रान्तों में ऐसे पुलिस स्टेशन भी बनाये गये हैं जिसमें केवल महिला पुलिस ही तैनात की गई है। दिल्ली के लगभग सभी थानों में महिला पुलिस का प्रयोग किया जाता है और अनेकों थानों में ड्यूटी आफिसर का कार्य भी महिला पुलिस कर रहीं हैं। यदि किसी अपराध का शिकार कोई महिला हो जाती है तो उसमें लोग महिला ड्यूटी आफिसर के पास जाकर अपनी शिकायत लिखवाने में किसी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं करती हैं। कुछ ऐसी महिलाएं भी होती हैं जो अपराधियों से पीड़ित होते हुए भी पुरुष पुलिस के पास जाकर अपनी शिकायतें दर्ज करने के बजाय चुप रहकर सहन कर लेना ही उचित समझती हैं। यदि महिला पुलिस थाने में होती है तो कोई भी अपराधों में संदिग्ध महिला से पूछताछ कराने में सहूलियत मिलती है। दिल्ली के पुलिस थानों में यदि कोई महिला अपराधी गिरफ्तार होती है तो यह आवश्यक माना जाता है कि गिरफ्तारी के समय उसकी देखरेख महिला पुलिस की जिम्मेदारी पर ही होनी चाहिए। महिला पुलिस का प्रयोग रात में गश्त के लिये और बलवे को नियंत्रण करने जैसे कामों पर भी किया जाने लगा है। प्रशिक्षण के समय भी महिला पुलिस को लगभग वही प्रशिक्षण दिया जाता रहा है जो पुरूष पुलिस को।

भारतवर्ष में पुलिस की छवि आमतौर पर बहुत अच्छी नहीं है। अधिकारियों का प्रभाव जनता के प्रति बहुत अच्छा नहीं पाया जाता और यद्यपि इसमें सुधार किया जा रहा है किन्तु अब भी कुछ कमियां रह गयी हैं। इस संबंध में राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने यह सुझाव दिया है कि यदि अधिक से अधिक महिला पुलिस का प्रयोग किया जाये तो पुलिस के दुर्व्यवहार की शिकायतें कम हो सकती हैं। महिला पुलिस कार्य प्रायः शांतिपूर्ण ढंग से करती है और परिस्थितियों पर अपने अच्छे व्यवहार से काबू पा लेती है। महिला पुलिस के समुचित प्रयोग से एक ऐसे समाज का निर्माण हो सकता है जिसमें अपराधों पर नियंत्रण हो और शांति और व्यवस्था कायम हो।

संदर्भ ग्रंथ :–

1. विपिन चन्द्र : भारत का स्वतंत्रता संग्राम, दिल्ली, 2004
2. डॉ.के.के. दत्त : बिहार का इतिहास, कलकता, 2003
3. डॉ. एम.वी.लाल : भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन, इलाहाबाद, 1990
4. रामविलास शर्मा : भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, दिल्ली, 1998
5. डॉ. दिनेश त्रिपाठी : यातायात पुलिस, प्रशासन एवं प्रबंध, दिल्ली, 2003